न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती शिल्पा सिंह, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या – **158 / 2020**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवन्यू एक्ट 1958

उनवान

1-5 जमना मु0 नन्दू, मु0 मगनी, शंकर, मु0 सीता पिता माधू रेगर निवासी नासरदा तह0 शाहपुरा
6-9 कल्याण, गोपी, देबी, नाथू पिता नाना रेगर निवासी नासरदा तह0 शाहपुरा

– प्रार्थीगण

बनाम

1- अर्जुन पिता लादू गाडरी निवासी नासरदा
2-धीरू पिता बंशीलाल वैष्णव निवासी नासरदा
3- भवर सिंह पिता रूप सिंह राजपूत निवासी नासरदा
4- पोलू पिता मांगीलाल चमार निवासी नासरदा
5- सत्यनारायण पिता बद्री जाट निवासी नासरदा
6- कल्लू पिता नानू रेगर निवासी नासरदा
7- मु. सीता बेवा गोपाल चमार निवासी नासरदा
8-महावीर पिता रामसुख वैष्णव निवासी नासरदा
9- गोपाल पिता कल्याण जाट निवासी नासरदा
10- कजोड पिता हेमा चमार निवासी नासरदा
11- बलवन्त सिंह पिता रणवीर सिंह राजपूत निवासी नासरदा
12- लादू पिता नन्दा चमार निवासी नासरदा
13-गोपाल पिता रामचन्द्र दरोगा निवासी नासरदा

– विपक्षी

उपस्थित – **श्री त्रिलोक चन्द नौलखा**
अधिवक्ता प्रार्थीगण

–:: निर्णय ::–

दिनांक – 04 / 01 / 2021

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है – प्रार्थीगण के ग्राम नासरदा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित **आराजी नम्बर 1415 / 614 रकबा** 0.17 **है0**, 1416 / 615 **रकबा** 0.22 **है0**, **1417 / 621 रकबा 0.10 है0**, **1418 / 622 रकबा 0.20 है0**, **226 रकबा** 0.63 है0 227 **रकबा** 1.07 **है0** कुल **किता** 6 रकबा **2.39 है0** हैक्टेयर का / की प्रार्थीगण **संयुक्त खातेदार** काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाज्ञान नहीं होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढी करवाइ जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी **ग्राम नासरदा संवत 2074 से 2077** का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् के प्रार्थीगण **संयुक्त खातेदार** दर्ज हैं। ... आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहते है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा **नासरदा** में स्थित प्रार्थीगण की उपरोक्त **संयुक्त खातेदारी** की आराजीयात **किता** 6 रकबा **2.39 है0 हैक्टेयर** की पुख्ता पत्थरगढी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई ... हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे मे हस्तक्षेप नही करते हुये ... **ऑफ सीजन में** किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। ... हेतु कमिश्नर फीस **500 / –** रूपये कायम किये जाते है, जो प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा ... प्राप्त करे। पत्थरगढी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से ... तफसील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक **04 / 01 / 2021** को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा)

(शिल्पा सिंह **IAS**)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

प्रतिलिपि – तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी मे नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.